"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2006—माघ 21, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2006

क्रमांक ई-1-07/2004/एक/2.—डॉ. आलोक शुक्ला, भा.प्र.से. (1986), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छ. ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल भारत निर्वाचन आयोग के क्षेत्रों से संबंधित प्रकरणों के संव्यवहरण हेतु) पदस्थ किया जाता है. डॉ. शुक्ला, को उक्त कार्य के साथ-साथ आगामी आदेश तक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

2. श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉ. शुक्ला द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 36/14/2005/1-7.— श्री एस. के. भादुड़ी मुख्य तकनीकी परीक्षक को पारिवारिक कार्य से भोपाल जाने हेतु दिनांक 23-1-2006 से 28-1-2006 तक (6 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने एवं दिनांक 21-1-2006 से 29-1-2006 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्री आर. के. असाटी, कार्यपालन अभियंता, मुख्य तकनीकी परीक्षक अपने कार्य के साथ-साथ श्री भादुड़ी का कार्य भी करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री भादुड़ी मुख्य तकनीकी परीक्षक के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री भादुड़ी अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य तकनीकी परीक्षक के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006.

क्रमांक एफ 2-28/2004/1-8.— श्री बी. एम. फुलवानी, निज सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति की निजी स्थापना में पदस्थ को, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक स्टाफ आफिसर के पद पर वेतनमान रुपये 10000-325-15200 में पदोन्नत करते हुए यथावत् पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2006

क्रमांक 70/34/2006/1-8/स्था.— श्री के. एल. रवि, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 20-1-2006 से 25-1-2006 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 26-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रवि को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2006

क्रमांक 72/56/2006/1-8/स्था.— श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग को दिनांक 23-1-2006 से 28-1-2006 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22 एवं 29-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक फा. 1-1/2003/9078/21-ब/05.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परामर्श से विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-1/2003/8242/21-ब/05, दिनांक 24-10-05 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में,—

अंक "26-11-05" के स्थान पर अंक "03-12-05" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 28th November 2005

No. F. 1-1/2003/9078/XXI-B/05.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), State Government hereby with consultation of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur makes the following amendment in the departmental Notification No. F. 1-1/2003/8242/XXI-B/05, dated 24-10-05, namely :—

AMENDMENT

In the said preamble of Notification,—

For the "figure 26-11-05" the word and figure "the date 03-12-05" shall be substituted.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2005

क्रमांक फा. 1-1/2003/9080/21-ब/05.—छत्तीसगढ़ व्यवहार प्रक्रिया अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 5 की खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के परामर्श से विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-1/2003/8242/21-ब/05, दिनांक 24-10-05 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में,—

अंक "26-11-05" के स्थान पर अंक "03-12-05" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 28th November 2005

No. F. 1-1/2003/9080/XXI-B/05.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958), State Government hereby with consultation of the High Court of Chhattisgarh. Bilaspur makes the following amendment in the departmental Notification No. F. 1-1/2003/8242/XXI-B/05, dated 24-10-05, namely :—

AMENDMENT

In the said preamble of Notification,—

For the word and figure "dated 26-11-05" the word and figure "the date 03-12-05" shall be substituted.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

फा. क्र. 635/3 (बी)/32/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-32).—राज्य शासन, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, आत्मज श्री अरुण कुमार, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

फा. क्र. 637/3 (बी)/39/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-39).—राज्य शासन, कु. पूजा मेहर, आत्मजा श्री सनत कुमार मेहर, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

फा. क्र. 639/3 (बी)/05/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-05).—राज्य शासन, श्री पंकज शर्मा, आत्मज श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

फा. क्र. 641/3 (बी)/29/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-29).—राज्य शासन, श्री लवकेश प्रताप सिंह बघेल, आत्मज श्री यशवंत सिंह बघेल, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

फा. क्र. 643/3 (बी)/01/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-01).—राज्य शासन, निधि शर्मा, आत्मजा श्री रामबाबू शर्मा, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

फा. क्र. 645/3 (बी)/20/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-20).—राज्य शासन, श्री आशीष पाठक, आत्मज श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

फा. क्र. 647/3 (बी)/22/2005/21-ब, (मेरिट क्रमांक-22).—राज्य शासन, श्री भानु प्रताप सिंह त्यागी, आत्मज श्री उदय सिंह त्यागी, को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2006

फा. क्र./डी-191/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2006 एवं 2007 में अधिवार्षिकीय आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति का दिनांक
1.	श्रीमती शकुन्तला दास	5-8-1946	31-8-2006
2.	श्री रामकृष्ण बेहार	6-9-1946	30-9-2006
3.	श्री माधव प्रसाद शर्मा	6-10-1946	31-10-2006
4.	श्री महेन्द्र कुमार तिवारी	12-2-1947	28-2-2007
5.	श्रीमती निर्मलासिंह	19-7-1947	31-7-2007

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2006

फा. क्र./डी-208/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन, श्री अनिल कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार, माध्यस्थम अधिकरण रायपुर, छत्तीसगढ़ की सेवाएं छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 61/दो-2-16/2001/गोप./06, दिनांक 24-1-2006 के अनुपालन में विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, से वापस लेते हुए उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायगढ़ के पद पर नियुक्ति हेतु एतद्द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2006

फा. क्र. 700/158/21-ब/छ.ग./2006.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रेवतीरमण तिवारी अधिवक्ता जांजगीर-चांपा छ.ग. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए जांजगीर-चांपा (छ.ग.) के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

क्रमांक-एफ 9-30/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-30/32/2005 दिनांक 25-10-05 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना रायपुर (उपांतरित) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम.	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मोवा	868, 871, 875, 872 सभी का भाग	1.022 हे.	मार्ग	आमोद-प्रमोद
	शंकरनगर	1130 का भाग	0.562 हे.	मार्ग	आमोद-प्रमोद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	मोवा	868, 871, 875, 876 सभी का भाग	1.480 हे.	आमोद-प्रमोद	मार्ग (चौ. 24 मी.)
	शंकरनगर	1130 का भाग	0.330 हे.	आमोद-प्रमोद	मार्ग (चौ. 24 मी.)

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 8-8/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी प्रा. लिमि. भिलाई के बायलर क्रमांक-एम.पी./3520 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 14-12-2005 से दिनांक 31-3-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 9-10/16/2005.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक बी. के. इंजीनियरिंग कार्पोरेशन यूनिट नं. 2, भिलाई, जिला-दुर्ग द्वारा वर्ष 90 से 95 में काम से वंचित 20 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा धारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अंतरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. कपूर, अपर मुख्य सचिव.

बी. के. इंजीनियरिंग कार्पोरेशन यूनिट-2, भिलाई-दुर्ग

कार्य से वंचित श्रमिकों की सूची

क्रमांक (1)	नाम (2)	पति/पिता का नाम (3)	भर्ती तिथि (4)	कार्य से वंचित तिथि (5)
1.	मानव सेन गुप्ता	सुधीर सेन गुप्ता	जुलाई, 83	19-12-90
2.	गोपीचन्द सोनवानी	समारू राम सोनवानी	अप्रैल, 87	20-12-91
3.	हुकुमचन्द	जगत राम	1988	1992
4.	हरिराम	भुलऊ राम	1986	23-12-93

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	रामनगीना	देवी प्रसाद	1988	23-12-93
6.	परमात्मा शर्मा	भुखलाल शर्मा	1987	23-12-93
7.	संतलाल बंजारे	कलिराम बंजारे	1980	1994
8.	राम किशन	धन्ना राम	1971	14-1-94
9.	दीवान चंद	टेहला राम	17-1-70	6-1-95
10.	विरेन्द्र कुमार	राजकुमार	1989	1991
11.	देवीलाल	कार्तिक राम	1989	1991
12.	मनराखन दास	झुमुक दास	1988	14-6-90
13.	ठाकुर राम	शांती लाल	1985	1991
14.	सोमानी दुबे	मनहरण	1985	1991
15.	केंवरा बाई	मंथीर राम	1980	1993
16.	धर्मिन बाई	संतराम	1990	1993
17.	राम्हीन बाई	हुमन	1989	1-11-90
18.	फूलबांसन बाई	ध्रुव कुमार	1989	1-11-90
19.	रेवती बाई	नयन दास	1989	1-11-90
20.	पारसनाथ शर्मा	कमल शर्मा	1986	23-12-93

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 9-12/16/2005.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड यूनिट-2, भिलाई, जिला-दुर्ग, द्वारा वर्ष 90 से 93 में काम से वंचित 68 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्‌द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्‍करण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अंतरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. कपूर, अपर मुख्य सचिव.

भिलाई इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमि. यूनिट-2, भिलाई

काम से वंचित श्रमिकों की सूची

क्रमांक (1)	श्रमिकों का नाम (2)	पति/पिता का नाम (3)	भर्ती तिथि (4)	काम से वंचित तिथि (5)
1.	नरोत्तम राम साहू	दशरथ राम	19-6-89	13-6-91
2.	रिखीराम साहू	कुमार राम	24-8-89	11-6-91
3.	दीपनारायण यादव	खोरबाहरा	1-1-87	1-9-90
4.	मेघनाथ साहू	मेहत्तर साहू	5-11-88	1-1-90
5.	दुर्गेश कुमार	तिजऊ वर्मा	1-1-87	15-7-91
6.	तेज बहादुर	गणेश राम	4-6-88	5-8-90
7.	रेवाराम साहू	बहुरीक साहू	1-3-89	1-3-90
8.	सुभाष कुमार	रामलु	4-9-87	3-3-90
9.	बिसहत साहू	खोरबाहरा साहू	10-3-88	30-6-90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	बाबूलाल	केजू राम	1-1-87	11-9-90
11.	रत्नेश प्रसाद यादव	शिवपूजन	9-9-89	27-6-91
12.	दुखित राम	शिवचरण	1-5-88	30-11-90
13.	शिवकुमार देवांगन	पुलक राम देवांगन	1-5-88	15-12-90
14.	पुरुषोत्तम कुमार	रामखिलावन	7-1-89	6-8-91
15.	मुसाफिर यादव	मैनेजर यादव	25-12-88	7-4-91
16.	मोहम्मद हकीम	मोहम्मद नियामत	1-6-88	14-4-91
17.	टेकराम साहू	छविराम साहू	1-5-89	26-5-91
18.	कृष्ण दत्त सिंह	बिहारी लाल	1-8-88	13-5-91
19.	रामजी साहू	शिवचरण	1-2-87	30-11-91
20.	यादव राम साहू	सेवाराम साहू	9-4-89	6-7-91
21.	रामजी साहू	चैतराम	15-3-86	30-12-90
22.	पिरीत राम	भुवनराम साहू	13-11-84	1-5-92
23.	अंजोरी राम	उदेराम ठाकुर	3-4-87	1-7-91
24.	विजय कुमार	सन्यासी	19-8-89	15-7-91
25.	लीलार नेताम	नेतराम	2-12-89	1-9-90
26.	बंशीलाल	विजय राम	5-10-89	26-4-90
27.	राजकुमार वर्मा	कार्तिक राम	7-11-88	12-5-91
28.	राजकुमार	सुब्बासिंह यादव	4-6-88	7-9-91
29.	बनवाली सोनी	फेकू लाल सोनी	1-3-90	20-9-90
30.	पवन कुमार वर्मा	राम लाल	6-4-88	21-12-90

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31.	जसंवत राम वर्मा	शत्रुहन	6-4-89	3-2-91
32.	मनहरण निषादँ	लालू राम	1-3-89	20-4-91
33.	मेहतरू राम साहू	प्राण नाथ	14-6-89	14-6-91
34.	भागवत सिन्हा	मनराखन	1987	22-4-93
35.	सुरेश कुमार ओझा	बुधराम	1988	22-4-93
36.	राजू गुप्ता	बी. एल. गुप्ता	1989	—"—
37.	सुरेश चौधरी	बृजलाल	1988	—"—
38.	हरिनारायण	धन्नंजेय	1988	—"—
39.	बी. पी. जोशी	बी. डी. जोशी	1988	—"—
40.	गोराम सिन्हा	देवलाल सिन्हा	1987	22-4-93
41.	टुनटुन सिंह	विद्या सिंह	1987	23-4-93
42.	अप्पा राव	गौरैय्या	1987	22-4-93
43.	बरातु सिन्हा	बिसउहा	1989	23-4-93
44.	नंदकुमार साहू	रामलाल साहू	1989	23-4-93
45.	दिलीप कुमार साहू		1990	—"—
46.	विक्रम सिंह ठाकुर	गोरख सिंह	1990	—"—
47.	सनत कुमार साहू	दुखित राम	1988	20-4-94
48.	भीषम पटेल	हरिलाल	1988	20-4-93
49.	भुनेश्वर पाल	फुलसिंह	1989	20-4-93
50.	पुष्पा बाई	शत्रुहन लाल	15-9-84	10-10-91
51.	श्यामा बाई	बिसहत ठाकुर	25-3-86	5-11-94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52.	मेघनाथ साहू	पंचू राम	30-6-91	1-4-93
53.	कामता प्रसाद	हरदेव लाल	15-1-80	25-3-93
54.	जीवधन साहू	बिसाल राम		
55.	अश्वनी कुमार	टी. आर. बन्छोर	4-12-87	29-12-92
56.	गोविन्द देवांगन	टीकम सिंह	20-1-84	3-4-93
57.	पूनाराम लोधी	बरातू राम लोधी	13-4-73	
58.	गगौरी शर्मा	एन. सी. शर्मा		
59.	रामसिंग	खोरबाहरा	17-1-84	29-12-92
60.	कांशी नाथ			
61.	चन्द्र हंस	सखुराम		
62.	मोरेश्वर	नारायण		
63.	चतरू राम वर्मा		22-12-89	18-3-91
64.	किशोर पाल	जे. पी. पाल	22-12-88	21-7-90
65.	गजेन् भोई	भजमन भोई	5-9-88	9-8-90
66.	कुम्भकरण	गोविंद साहू	15-5-88	18-2-90
67.	नागेश्वर राव	एम. व्यंकटराव	5-9-88	25-2-90
68.	रमउवा	पलटू राम	1-2-90	19-6-91

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 9-22/16/2005.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक राणा उद्योग, 50 लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला-दुर्ग द्वारा वर्ष 1994 में काम से वंचित 50 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतः छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा धारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अंतरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. कपूर, अपर मुख्य सचिव.

राणा उद्योग लिमिटेड, भिलाई

क्रमांक (1)	नाम (2)	पिता/पति का नाम (3)	भर्ती दिनांक (4)	काम से वंचित तिथि (5)
1.	मोहम्मद अली	जुम्मन अली	10-4-75	1-5-94
2.	बी. पी. सिंह	सुखदेव सिंह	4-3-76	—"—
3.	गोपाल सरकार	एच. पी. सरकार	9-6-75	—"—
4.	अर्जुन सिंह	बैसाखु राम यादव	8-3-76	—"—
5.	एम. एस. माहोरे	शंकर राव मोहोरे	5-6-76	—"—
6.	एन. पी. ठाकुर		5-5-76	—"—
7.	एफ. बी. नारनवरे	बी. एम. नारनवरे	6-8-76	—"—
8.	अरुण वार्शिवकर	राजाराम	6-7-76	1-5-94
9.	कलाराम चौहान	गरीबा राम चौहान	15-3-74	1-5-94
10.	एम. बी. खान	एम. आर. खान	10-2-79	1-5-94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	सुरेन्द्र राम पांडे	भुसद्दी राम	28-6-83	1-5-94
12.	देवनारायण	सरजू राम	25-9-84	—"—
13.	आजु राम	विजय राम	2-12-84	—"—
14.	विरेन्द्र सिंह	जगनारायण सिंह	5-6-85	—"—
15.	दाऊलाल	झाडू राम	5-10-82	—"—
16.-	पुनऊ राम	राम भरोसा	6-5-78	—"—
17.	बालाराम	राम भरोसा	1984	—"—
18.	साधू राम	हरि राम	3-3-85	—"—
19.	भूषण चौहान	लखन सिंह	4-10-88	—"—
20.	टेटकू राम	सीराव यादव	5-7-88	—"—
21.	एम. बीजू		6-8-84	—"—
22.	शिव प्रसाद	रामरतन साहू	3-6-90	—"—
23.	वकील अहमद	जरसूल	2-1-84	—"—
24.	हरे राम सिंह	रामनाथ सिंह	5-8-85	—"—
25.	संतराम साहू	राजाराम साहू	10-3-87	—"—
26.	मोतीराम साहू	गन्नू राम साहू	12-2-88	1-5-94
27.	रफिक अली	मीनाद अली	16-4-87	1-5-94
28.	अब्बास अली	जब्बार अली	18-3-87	—"—
29.	मधुकर राव	रामाराव	15-5-88	—"—
30.	प्रभाकर राव	रामाराव	14-3-88	—"—
31.	नीलकंठ साहू	दुकालू राम साहू	11-2-86	1-5-94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32.	फकीरा राम		13-03-88	1-5-94
33.	महेन्द्र सिन्हा	डी. आर. सिन्हा	05-03-89	--,,--
34.	बब्बन शर्मा	डी. पी. शर्मा	--,,--	--,,--
35.	भूषण मढ़रिया	चुम्मन लाल	06-08-88	--,,--
36.	गोवर्धन	उमेंद सिंह	13-05-89	--,,--
37.	भागीरथी	बाबा जी	02-01-90	01-05-94
38.	चन्द्रकुमार	बी. एस. चौहान	--,,--	--,,--
39.	शिवकुमार	एस. आर. साहू	13-06-89	--,,--
40.	मयाराम	फिरन्ता राम ढिमर	05-06-81	--,,--
41.	रामकरन	रामहित	03-06-84	--,,--
42.	दीनानाथ	बालेश्वर	12-03-89	--,,--
43.	गणेशिया बाई	श्यामलाल	06-05-88	--,,--
44.	देव शर्मा		05-02-80	--,,--
45.	निर्मला बाई	जेठूराम	06-10-84	--,,--
46.	सुरेश कुमार	किशुन	06-03-88	--,,--
47.	शान्ति बाई	मोहन लाल	1985	15-12-94
48.	भगवती बाई	झुमुक लाल	--,,--	--,,--
49.	चन्दा बाई		--,,--	--,,--
50.	मोहन लाल	भोंदू राम	--,,--	--,,--

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 9-23/16/2005.—चूंकि महासचिव, प्रगतिशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा सेवा नियोजक माहेश्वरी इण्डस्ट्रीज, भिलाई, जिला-दुर्ग द्वारा वर्ष 1990 में काम से वंचित 34 श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है तथा व्यक्त किया गया है कि इन श्रमिकों को अवैध रूप से कार्य से वंचित किया गया जिसके कारण पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और चूंकि राज्य शासन को संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या संलग्न परिशिष्ट में दर्शित कर्मकारों का सेवा पृथक्कीकरण वैध एवं उचित है ? यदि नहीं तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

(2) क्या अनुक्रमांक एक के संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित कर्मकारों को विवाद के निराकरण होने तक अंतरिम राहत प्रदान करने का औचित्य है ? यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. कपूर, अपर मुख्य सचिव.

माहेश्वरी इण्डस्ट्रीज के कार्य से वंचित श्रमिकों की सूची

क्र.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	विभाग	पद	ठेकेदारी/ विभागीय	भर्ती तिथि	काम से वंचित करने की तिथि	पी.एफ. कटौती	वेतन	पता
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	हुकुम लाल	पवन कुमार पटेल	24	फाउन्ड्री	हेल्पर	ठेकेदारी	03-07-85	20-12-90	नहीं	दैनिक 21/-	राधाकृष्ण मंदिर छावनी.
2.	केशव राम	अजब राम	30	-,,-	मोल्डर	-,,-	1981	-,,-	-,,-	26/-	शिवपुरी जामुल
3.	बलराम	अजित साहू	24	-,,-	हेल्पर	-,,-	1984	-,,-	-,,-	20/-	शंकर नगर छावनी.
4.	शिवकुमार	बैसाखू राम पटेल	25	-,,-	-,,-	-,,-	1987	-,,-	-,,-	16/-	बिजली नगर छावनी.

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	राजकुमार	रामदीन	21	फाउन्ड्री	हेल्पर	ठेकेदारी	1987	20-12-90	नहीं	दैनिक 17/-	ग्राम नारधी, भिलाई-3.
6.	अवध राम	जगत राम साहू	35	-,,-	मोल्डर	-,,-	1982	-,,-	-,,-	28/-	शंकर नगर छावनी.
7.	मूलचंद साहू	पुरन लाल साहू	35	-,,-	-,,-	-,,-	24-07-84	-,,-	-,,-	32/-	गांधी चौक, शारदा पारा.
8.	बलभद्र प्रसाद	देवकंठ साहू	35	-,,-	-,,-	-,,-	1983	-,,-	-,,-	28/-	शंकर नगर छावनी.
9.	दशरथ राम	गुहलेद साहू	35	-,,-	हेल्पर	-,,-	1988	-,,-	-,,-	17/-	अंकुश चौक छावनी.
10.	धन्नू राम	थुकेल सिंह पटेल	26	-,,-	-,,-	-,,-	1985	-,,-	-,,-	22/-	राधाकृष्ण मंदिर छावनी.
11.	होली लाल	चैत राम साहू	40	-,,-	मोल्डर	-,,-	1986	-,,-	-,,-	23/-	बैकुण्ड नगर शारदा पारा.
12.	जनक लाल	कुक्कन लाल	40	-,,-	-,,-	-,,-	1986	-,,-	-,,-	32/-	अशोक नगर रायपुर.
13.	सहदेव राम	रहोली राम	40	-,,-	-,,-	-,,-	1987	-,,-	-,,-	30/-	बापू नगर खुर्सीपार.
14.	शिवकुमार	लखन लाल वर्मा	30	-,,-	-,,-	-,,-	06-03-89	-,,-	-,,-	24/-	सतनामी पारा छावनी.
15.	कोदू राम	छबीलाल पटेल	40	-,,-	-,,-	-,,-	1989	-,,-	-,,-	22/-	उत्तम टेलर्स छावनी.
16.	रामनरेश	पतिराज	40	-,,-	-,,-	-,,-	23-01-87	-,,-	-,,-	22/-	जोन-एक खुर्सीपार.
17.	फूलसिंग	मुंड़ियादेवांगन	32	-,,-	हेल्पर	-,,-	1989	-,,-	-,,-	18/-	शारदा पारा कैम्प-2.
18.	माधव भारतीय	कार्तिक राम	24	-,,-	-,,-	-,,-	1986	-,,-	-,,-	17/-	मंगल बाजार छावनी.
19.	रामदेव यादव	मोहन लाल	40	-,,-	-,,-	-,,-	1987	-,,-	-,,-	19/-	बालाजी नगर खुर्सीपार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20. श्रीमति सावित्री	होलू राम सिन्हा	25	फाउण्ड्री	मजदूर	ठेकेदारी	1989	20-12-90	नहीं	दैनिक 13/-	श्रमिक नगर छावनी.
21. श्यामाबाई	रूग्गू राम साहू	25	-,,-	-,,-	-,,-	1989	-,,-	-,,-	13/-	श्रमिक नगर छावनी.
22. भगवंतीन बाई	रोहीत दास	30	-,,-	-,,-	-,,-	1987	-,,-	-,,-	13/-	शंकर नगर छावनी.
23. सुलोचना बाई	साहूकार	30	-,,-	-,,-	-,,-	1988	-,,-	-,,-	13/-	-,,- -,,-
24. अनेक राम वर्मा.	घासीदास	24	-,,-	हेल्पर	-,,-	05-07-86	-,,-	-,,-	17/-	ग्राम बासिंग, जिला-दुर्ग.
25. हीरालाल	सुखीराम साहू	28	-,,-	मोल्डर	-,,-	15-07-83	-,,-	-,,-	25/-	बिजली नगर छावनी.
26. खेमराज	जगदीश प्रसाद	22	-,,-	हेल्पर	-,,-	1985	-,,-	-,,-	16/-	शेष कालोनी जामुल.
27. सुखी राम	फूलचंद	36	-,,-	-,,-	-,,-	1989	-,,-	-,,-	17/-	नहर पार केम्प-2
28. राजाराम	जगदीश प्रसाद	30	-,,-	मोल्डर	-,,-	06-07-84	-,,-	-,,-	28/-	शेष कालोनी जामुल.
29. नंद लाल	चिन्ता राम वर्मा	26	चिपिंग फेटलिंग	ग्रा. मेन	-,,-	1983	21-12-90	-,,-	25/-	तेलहानाला खुर्सीपार.
30. चंदू लाल	सुकालू राम साहू	24	-,,-	हेल्पर	-,,-	1989	-,,-	-,,-	17/-	शंकर नगर छावनी.
31. भूपत राम वर्मा.	खोरबाहरा राम	22	-,,-	-,,-	-,,-	1989	-,,-	-,,-	16/-	सतनामी पारा छावनी.
32. देवेन्द्र कुमार	रामविलास साहू	22	-,,-	-,,-	-,,-	1985	-,,-	-,,-	17/-	ग्राम नारधा, जिला-दुर्ग.
33. रामखिलावन	मोहन लाल साहू	23	-,,-	-,,-	-,,-	1989	28-12-90	-,,-	18/-	शंकर नगर छावनी.
34. बिमला बाई	खिलावन साहू	23	सप्लाई	मजदूर	विभागीय	1988	28-12-90	-,,-	14/-	शंकर नगर छावनी.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोटमार प. ह. नं. 18	4.842	उप मुख्य अभियंता (निमार्ण-II) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर.	कोतरलिया रेल्वे साईडिंग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2006

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 3-अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	भटगांव प. ह. नं. 16	0.243	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	ग्राम-भठगांव प. ह. नं.-16, तह.-रायपुर (छ. ग.) निजी भूमि को माना भटगांव, देवार भाठा मार्ग के कि.मी.2/4 पर देवार भाठा, नाला सेतु के पहुंच मार्ग में आ रही पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2006

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 4-अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	धुसेरा प. ह. नं. 136/15	0.242	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	ग्राम-भठगांव प. ह. नं.-16, तह.-रायपुर (छ. ग.) निजी भूमि को माना भटगांव, देवार भाठा मार्ग के कि.मी.2/4 पर देवार भाठा, नाला सेतु के पहुंच मार्ग में आ रही पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2006

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 5-अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कोटा प. ह. नं. 107	20.712	कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1 रायपुर.	कोटा प. ह. नं. 107, रायपुर में मण्डल की आवासीय योजना हेतु निजी भूमि का अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-संचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक 4/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	2.313	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय कन्हारी सब माइनर एवं कोरजा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/64/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन,इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	बरगांव	0.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	जयरामपारा तालाब, नहर निर्माण.

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/65/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	हाटकोंदल	5.183	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	जयरामपारा तालाब, नहर निर्माण.

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/68/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	उत्तर बस्तर कांकेर	गौरगांव	1.60	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	गौरगांव तालाब, नहर निर्माण.

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/69/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	उत्तर बस्तर कांकेर	पाण्डरवाही	16.27	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	गौरगांव तालाब निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/70/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	उत्तर बस्तर कांकेर	पाण्डरवाही	0.76	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	गौरगांव तालाब नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/71/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर वस्तर कांकेर	नरहरपुर	शामतरा	2.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/72/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	शामतरा	4.360	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/73/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	उत्तर बस्तर कांकेर	कानागांव	0.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	कानागांव व्यपवर्तन योजना

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/74/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कुरिष्टीकुर	16.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	बांधापारा तालाब निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/81/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पीव्ही 28+29 चांदीपुर	2.33	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	लघु सिंचाई नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पीव्ही 9+115 चाणक्यपुरी	1.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	लघु सिंचाई नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/83/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पीव्ही 29+30 माटोली	4.299	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	लघु सिंचाई नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/84/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पीव्ही 133 अवंधपुर	1.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	लघु सिंचाई नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/85/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पीव्ही 17 रविन्द्रनगर	2.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	लघु सिंचाई नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/86/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	हांकेर	0.94	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	लघु सिंचाई नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/87/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पीव्ही 28+31 हरिहरपुर	5.222	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	लघु सिंचाई नहर निर्माण

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/88/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	पीव्ही 28+36 चांदीपुर	4.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग.	लघु सिंचाई नहर निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक 6/क/भू-अर्जन/23-अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-भोथाडीह, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.214 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	587/2	0.113
	587/1	0.073
	572/2	0.028
योग	3	0.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- टेगना नाला सेतु का पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक 7/क/भू-अर्जन/24-अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-सिनोधा, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	636/2	0.048
	636/1	0.024
योग	2	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- करनाला के सेतु का पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक 8/क/भू-अर्जन/25-अ/82-04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-सिमगा
- (ग) नगर/ग्राम-भंवरगढ़, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.041 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
149/2	0.006

	(1)	(2)
	174	0.012
	175/3	0.008
	175/4	0.012
	176	0.003
योग	5	0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- कर्रानाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र.क्र. 27-अ/82, वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-अमसेना, प. ह. नं. 34/48

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1561	0.35
1339/3	0.05
1761	0.03
1850	1.10
1764/1	0.18
1791	0.10
1565	0.04
1572	0.20
1573	0.22
1566	0.36
1765	0.33
1767	0.07
1833	0.43
1851	0.32
1852	0.48
1793	0.30
1794/1	0.08
1557	0.15
1559	0.27
1579	0.39
1764/2	0.18
1864	0.04
1763	0.50
1574	0.29
1766	0.08
1564	0.25
1340	0.15
1857	0.10
1855	0.45
1794/2	0.24
1836	0.03
1553	0.25
1832	0.32
1556	0.12
1856	0.40
1762	0.24
1554	0.25
1600/1	0.08
1795	0.16
1558	0.03
1549	0.32
1571	0.20
1580/2	0.32
1837	0.36
1552/2	0.06
1552/1	0.05
1555	0.03
1839	0.07
1858	0.25
1562	0.05

(1)	(2)
1567	0.14
1569	0.05
1796	0.44
1550	0.50
1568	0.35
1854	0.03
1581/1	0.28
1560	0.21
1581/2	0.02
1789	0.03
1583	0.22
1575	0.45
1823	0.05
1835	0.42
1580/1	0.55
1596/3	0.12
1834	0.16
योग	15.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2006

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र.क्र. 28-अ/82, वर्ष 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-बनरसी, प. ह. नं. 51

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2289	0.01
2154	0.20
2164	0.37
39	0.02
34/1	0.45
1255	0.40
2153	0.15
2165	0.09
2167	0.15
2156	0.15
2172	0.15
49	0.01
2176	0.09
11	0.03
55	0.13
72/1	0.02
41	0.05
70	0.27
89	0.23
68	0.18
66	0.10
210	0.16
1905	0.09
1899	0.27
2105	0.82
2162/1	0.03
30	0.05
137	0.20
143	0.07
87	0.13
2171	0.13
144	0.03
22	0.36
1790	1.18
2175	0.20
134	0.02
207	0.14
36	0.15
1787	0.56
1897/2	0.10
86	0.05

(1)	(2)
90	0.08
92	0.16
34/2	0.05
212	0.06
91/2	0.21
54	0.01
2225/1	0.13
1898	0.07
1902	0.02
1901/2	0.05
17	0.30
1897/1	0.18
1901/1	0.29
19	0.26
1904	0.48
136	0.13
2152	0.09
2155	0.17
2170	0.11
2166	0.16
2173	0.05
59	0.12
35	0.26
36	0.15
52	0.32
13/1	0.21
93	0.32
145	0.01
126	0.23
1786	0.12
206	0.21
18	0.01
32/2	0.02
56/2	0.15
56/3	0.02
1900/2	0.02
2157	0.06
12	0.27
1789	0.09
1257	0.83
1260	0.36
56/1	0.30
213	0.03
2174	0.37
2162/18	0.12
2226	0.21
2225/2	0.01
88/2	0.05
65	0.21
129	0.14
67	0.03
138	0.07
127	0.07
128	0.17
94/1	0.01
94/2	0.05
85/4	0.01
135	0.15
148	0.04
33	0.12
1788	0.19
2289/1	0.43
211	0.06
69	0.23
71	0.23
1900/1	0.04
13/2	0.10
38	0.16
56/4	0.31
1276	0.53
1277	0.52
1903	0.30
91/1	0.07
91/3	0.10
2173	0.14
2162/17	0.10
214	0.03
योग	20.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/77/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-दुधावा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	19	0.09
	22	0.24
	36/13	0.25
	36/6	0.07
	36/5	0.06
	36/12	0.01
	36/4	0.06
	37	0.10
योग		0.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- बांधापारा तालाब योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक/78/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-मांदरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	335	0.35
	334	0.40
योग	02	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- बांधापारा तालाब योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 जनवरी 2006

क्रमांक 104/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) ज़िला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-खोलझर, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
3/1	0.04
4	0.38
6	0.23
9	0.35
10	0.53
13	0.62
15	0.33
22	0.33
20	0.06
24	0.07
21	0.05
23	0.08
25	0.02
26	0.51
27	0.13
29	0.13
30	0.18
31	0.18
33	0.29
34	0.36
36	0.53
38	0.19
81	0.14
292	0.15
54	0.46
55	0.70
82	0.21
83	0.10
87	0.12
111	0.34
113/1	0.31
295	0.26
296	0.33
297	0.19
309	0.57
311/1	0.45
311/2	0.19
314/1	0.66
86	0.25
376	0.21
योग	11.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खोलझर जलाशय क्र. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक 16/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.979 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/1 ख, 66/1 द	0.611

(1)	(2)
93/2	0.057
66/1 थ	0.101
66/1 ण	0.194
66/1 झ	0.174
93/18	0.109
93/19	0.057
93/6, 93/7, 93/9, 93/10	0.057
93/11	0.101
88/1	0.085
93/24	0.057
87	0.198
1/1 च	0.093
1/1 क/4	0.085
योग 14	1.979

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनिया जलाशय योजना के अमरैयाटोला एवं मड़ना शाखा नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

प्र. क्र. 5/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बेलगहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
38/1	0.121
42/1	0.154
योग 2	0.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कार्यालय एवं सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th November 2005

No. 681/Confdl./2005/II-2-2/2002.—The following Members of Higher Judicial Service holding Selection Grade Scale as specified in Column No. (2) are hereby granted Super Time Scale of Rs. 18400-500-22400 (Revised Scale of Rs. 22850-500-24850) from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of grant of Super Time Scale (3)
1.	Shri Raghubir Singh, Judge Family Court, Korba	12-09-2004

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Hira Singh Markam, II Additional Principal Judge, Family Court, Durg.	28-03-2005
3.	Shri Sanman Singh, District & Sessions Judge, Durg	28-03-2005
4.	Shri Heera Ram Gurupanch, Judge, Family Court, Ambikapur.	28-03-2005
5.	Shri Chandrabhushan Singh Patel, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara).	29-03-2005

Bilaspur, the 28th November 2005

No. 682/Confdl./2005/II-2-2/2002.—In partial modification of the Registry Order No. 6/Confdl./2005/II-2-2/2002 dated 07-01-2005, the following Members of Higher Judicial Service holding Super Time Scale as specified in Column No. (2) are hereby granted Super Time Scale of Rs. 18400-500-22400 (Revised Scale of Rs. 22850-500-24850) from the revised date mentioned in Column No. (4) in place of the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Earlier granted Super Time Scale with effect from (3)	Revised date of grant of Super Time Scale (4)
1.	Shri Tankeshwar Prasad Sharma, Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	21-05-2004	09-09-2002
2.	Shri Rangnath Chandrakar, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	21-05-2004	19-09-2002 to 01-10-2003 and again from 21-05-2004.

Bilaspur, the 28th November 2005

No. 683/Confdl./2005/II-2-2/2002.—The following retired Member of Higher Judicial Service as specified in Column No. (2) is hereby granted Super Time Scale of Rs. 18400-500-22400 (Revised Scale of Rs. 22850-500-24850) from the date mentioned in Column No. (3) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of grant of Super Time Scale (3)
1.	Shri Nawal Singh Rajput, Retired Member of Higher Judicial Service.	02-06-2001

Bilaspur, the 7th January 2006

No. 6/Confdl./2006/II-3-1/2006.—The following candidates as mentioned in column No. (2), appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at and placed in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting positively by 20th of January 2006 :—

TABLE

S. No. (1)	Name of newly appointed Civil Judge Class II (2)	Posted As & At (3)
1.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan, W/o Shri Dhananjay Dewangan, C.E.O., Zila Panchayat, C-1, Behind Collectorate, G.A.D. Colony, P. S. Rampur, Korba-495677.	I Civil Judge Class II, Rajnandgaon
2.	Shri Deepak Kumar Gupta, C/o Aniket Copiers, Near D.P. Vipra College, High Court Road, Bilaspur-495001.	I Civil Judge Class II, Raipur
3.	Shri Sunil Kumar Nande, C/o Shri R. R. Nande, Near Play Ground, Tapkara Road, Kunkuri, District Jashpur- 496225.	II Civil Judge Class II, Raigarh
4.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur, S/o Shri Mahavir Singh Thakur, Village-Kotia, P.O. Bartori, Tahsil & P.S. Bilha, District Bilaspur.	III Civil Judge Class II, Raipur
5.	Shri Avinash Tiwari, A-7, Nehru Nagar In Front of Chadda Badi, Bilaspur-495001.	IV Civil Judge Class II, Raipur
6.	Smt. Mamta Patel, W/o Shri Janakram Patel, S.D.O., Quarter No. F-2, Irrigation Colony, Seoni (Champa), District Janjgir-Champa-495671.	III Civil Judge Class II, Bilaspur
7.	Shri Prashant Kumar Shivhare, S/o Shri Sheetal Prasad Shivhare, C/o Jai Bhole Sales Corporation, Haram Chowk, Post-Geedam, District Dantewara-494441.	I Civil Judge Class II, Jagdalpur
8.	Shri Satyendra Kumar Mishra, S/o Shri Devraj Mishra, Under Railway Overbridge, Stationpara, Ward No. 8, Rajnandgaon-491441.	I Civil Judge Class II, Durg
9.	Shri Rakesh Kumar Verma, C/o Shri Azad Verma, Behind Dr. Kasliwal Clinic, Seepat Road, Ashok Nagar, Bilaspur- 495001.	VII Civil Judge Class II, Raipur
10.	Shri Vivek Kumar Tiwari, C/o Shri J. P. Tiwari, Advocate, Behind B. T. I., Janjgir-495668.	VII Civil Judge Class II, Bilaspur
11.	Shri Aditya Joshi, S/o Shri Vijay Joshi, Shankar Nagar Ward No. 1, Post & District Mahasamund- 493445.	IX Civil Judge Class II, Raipur
12.	Smt. Kiran Rathi, C/o Shri R. K. Rathi, D-1, Judges Colony, Panjari Plant, Behind Consumer Forum Building, Raigarh- 496001.	III Civil Judge Class II, Jagdalpur

(1)	(2)	(3)
13.	Ku. Neeru Singh, D/o Shri Todhi Singh, Lilanchal, 268, Tansen Nagar, Gwalior-474002.	II Civil Judge Class II, Durg
14.	Shri Balaram Sahu, S/o Shri Punarad Ram, Sahubada, Rambagh, Dhamtari-493773.	XI Civil Judge Class II, Raipur
15.	Shri Atul Kumar Shrivastava, Near Office of Zila Panchayat, Janjgir-Champa-495668.	VIII Civil Judge Class II, Bilaspur
16.	Shri Chandra Kumar Kashyap, S/o Shri Hari Prasad Kashyap, Main Road, Mamta Nagar, Rajnandgaon-491441.	IV Civil Judge Class II, Durg
17.	Smt. Priya Rao, D-1, New Panchsheel Nagar, Near Katora Talab, Behind Chhattisgarh, Club Raipur-492001.	XII Civil Judge Class II, Raipur
18.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, Village Navagaon, P. O.-Kuwa, Tahsil-Navagarh District Durg-491337.	II Civil Judge Class II, Rajnandgaon
19.	Shri Madhusudhan Chandrakar, S/o Baburam Chandrakar, H.I.G. 20, Purushottam. Niwas, Parijat Castle, Ring Road No. 2, Bilaspur-495001.	V Civil Judge Class II, Durg
20.	Shri Kamlesh Jagdalla, C/o Shri Rajesh Dube, Maa Sharda Travels, New Bus Stand, Bemetara, District Durg-491335.	VII Civil Judge Class II, Durg
21.	Shri Prabhakar Gwal, S/o Shri Mukti Gwal, Siddeshwari Temple Road, Masjid Road-Kota, Raipur - 492010.	VIII Civil Judge Class II, Durg

By order of the High Court,
RAM KRISHNA BEHAR, Registrar General.